

सं. के-20014/2/2001-डीडी2ए
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
शहरी विकास विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली.
दिनांक: 20.11.2001.

अधिसूचना

सा.का.नि. सं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के नियम 2 (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वसूल करने योग्य पूर्व-निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती है :-

<u>भूमि की श्रेणी</u>	<u>रोहिणी फेज़-3 के लिए 2000-2001 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें</u>
1. <u>रोहिणी भूखण्ड:</u> ई.डब्ल्यू.एस. 26 वर्ग मीटर एल.आई.जी. 32 वर्ग मीटर एल.आई.जी. 48 वर्ग मीटर एम.आई.जी. 60 वर्ग मीटर एम.आई.जी. 90 वर्ग मीटर	2443.00 रुपये 3018.00 रुपये 3594.00 रुपये 4745.00 रुपये 5320.00 रुपये (इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल हैं)
2. <u>आवासीय स्कीम:</u> एल.आई.जी. एम.आई.जी. एस.एफ.एस.	1727.00 रुपये 2878.00 रुपये 3454.00 रुपये (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आन्तरिक विकास की लागत भी जोड़ी जायेगी)
3. <u>वैकल्पिक भूखण्ड</u>	3018.00 रुपये (इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल हैं)
4. <u>झुग्गी-झोंपड़ी और अनधिवासी</u>	16.00 लाख रुपये प्रति एकड़ (आन्तरिक विकास की लागत को छोड़कर)

ये दरें वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए प्रभावी हैं।


(निशा सिंह)
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
नायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली.